



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | SIWAN
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

अधिकारी / व्यवस्थापक / प्रबंधक

VIGYANAND KENDRIYA VIDYALAYA

VIGYANAND KENDRIYA VIDYALAYA

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीक्षित कार्यप्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 02-08-2021 और उसके लगभग में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय विस्तृतीय समिति के बैठक दिनांक 10 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय VIGYANAND KENDRIYA VIDYALAYA, VIGYANAND KENDRIYA VIDYALAYA, CHANUR, 841227 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 0 से 2-8-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तीक्षित प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीक्षित निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होती।

1. प्रस्तीक्षित किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पढ़ोंस के कमजोर दर्द एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्ण प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्ण प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंटिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अधिकारी के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।



B. S. R.

1/152

Kumar
Principal
Vigyanand Kendriya Vidyalaya
Chanur Siwan (Bihar)

- (VIII) शिक्षण नियमी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।
8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यशर्या का अनुसरण करेगा ।
 9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आसोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।
 10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं यानदंडों को सरकार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नान्तः
 - (I) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 207 डिसमिट
 - (II) कुल निर्वित क्षेत्र :- 207 डिसमिट
 - (III) खेत के मैदान का क्षेत्र :- 43 Classrooms, Computer lab, Physics lab, Chemistry lab, Biology lab, Library, 2 Volleyball court, 2 Badminton court, 1 Basketball court, Shooting range (Indoor, Outdoor), Football ground, Swimming pool, Music gallery, Clinic, 24 hours electric supply, R.O water plant.
 - (IV) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 48
 - (V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भेदार काल :- 24
 - (VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western, Boys :- 40, Girls 25
 - (VII) पेयजल की सुविधा :- 25
 - (VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0
 - (IX) बापाराइन पहुँच[] :-
 - (X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- Blackboard, Chalk, Duster, Smart Class, Computer lab, Biology lab, Physics lab, Mathematics lab, Language lab, ICT lab etc , Football, Volleyball, Basketball, Handball, Badminton, Javelin, Cricket bat or ball, Archery, Swimming equipment, Shooting range, Shot put, etc , (Y , 999 , NewsPaper MagaZine:- 200)
11. कोई भी अपस्थीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबंधित नहीं होगा ।
 12. विद्यालय भदन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा ।
 13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्वित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पञ्चिक ट्रस्ट के माध्यम से संबंधित होगा ।
 14. विद्यालय किसी व्यक्ति, सम्पूर्ण अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संबंधित नहीं होगा ।
 15. सेक्षा का अकेलेज एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आसोक में उपर्युक्त सेक्षा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक सेक्षा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिता शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।
 16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृत कोड संख्या [218123020218210585321, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।
 17. निदेशक, प्राधिक शिक्षा / जिता शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय "मौंग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के भार से प्रस्तीकृत की खतों के लागतार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्मात अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।
 18. पदि सोसाईटी के निवेदन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।
 19. अनुलग्न III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें



Bijay

Kurnoor
Principal
Vigyanand Kendriya Vidyalaya
Chanur Siwan (Bihar)

वि शास भाजन

ह०/-

जिता शिक्षा पदाधिकारी, SIWAN
शिक्षा विभाग, विहार सरकार

[Signature]